रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1975/आश्विन 5, 1897
No. 394] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1975/ASVINA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th September 1975

S.O. 548(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. S.O. 484(E)/18AA/IDRA/75 dated the 8th September, 1975, the Management of the industrial undertaking known as Messrs Ancillary Industries (Forgings) Private Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), has been taken over under section 18AA(1) (a) of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied in relation to the industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry namely Bicycle industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that :—

(a) the enactments, specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the said industrial undertaking, and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the date of publication of this Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended.

2. This Order shall remain in force for a period of one year commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 2/29/75-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1975

का० आ० 548(अ)/18 एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/75.—यतः भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 484 (अ)/18एए/उ० वि० वि०अ०/75 तारीख 8 सितम्बर, 1975 द्वारा मैसर्स एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज (फ़ोर्जिन्स) प्रा० लि० कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए ए (1)(क) के अधीन 7 सितम्बर, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए, ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में, अनुसूचित उद्योग, अर्थात् साइकिल उद्योग, में उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से, जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि—

(क) इस आदेश की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट, अधिनियमितियां उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी; और

(ख) सभी प्रवृत्त संविदाओं, सम्पत्ति का हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, समझौतों पंचाटों, स्थायी आदेशों का अन्य लिखतों जिनमें उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व लागू होती हों, का प्रवर्तन और सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व को उक्त तारीख से पहले तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत हुए हों निलम्बित रहेंगे ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

[सं० फा० 2/29/75—सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975